न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 118/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/00009)

भागदान पुत्र श्री सुलतान दान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्रीदान
3. अमरदान
4. प्रेमा
5. कमा
6. पीरा

पुत्र/पुत्री सुलतानदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर

7. भूरदान (फौत)
8. भूपदान
9. प्रभूदान
10. कमीया
11. कलो
12. चुनी
13. सरोज

पुत्र/पुत्री केशदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर

14. टिकूदान
15. विमला
16. गुड्डी
17. मोहनी
18. भगवती
19. निमा
20. लिलू (फौत)

पुत्र/पुत्री छोगदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर

21. कमला बेवा रिड़मलदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर
22. बलीदान
23. दलीदान
24. शंकरदान

पुत्र/पुत्री रिडमलदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर

25. चन्द्रदान
26. राजेन्द्र
27. मीरा
28. मोहनी

पुत्र/पुत्री रिडमलदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर

29. गोपीदान पुत्र उदेदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर (फौत)

29/1 श्रीदेवी पत्नी
29/2 महेन्द्र सिह पुत्र
29/3 विजय सिह पुत्र
29/4 रमेश कंवर पुत्री
29/5 राजेन्द्र सिह पुत्र
29/6 पृथ्वी सिह पुत्र
29/7 गीता कंवर पुत्री

गोपीदान जाति चारण निवासी फेफाना तहसील नोहर

रेस्पोडेंट्स

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपस्थितः 1. श्री महावीर प्रसाद शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 09.11.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर के निर्णय दिनांक 09.03.2016 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार नोहर द्वारा दर्ज चक 5 जे.एस.एन.का नामान्तरण सं. 175 दिनांक 10.07.07 के विरूद्व अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर मे अपील पेश कर उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.03.2016 द्वारा अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी। उक्त निर्णय के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 6, 8 ता 19, 21 ता 28, 29/1 ता 29/7 को जरिये सम्मन सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट सं. 7 एवं 20 के निमित जारी सम्मन पर फौत होने के रिपोर्ट होकर प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलान्ट को इनके मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उसके जायज वारिसानो की सूची पेश करने हेतु लगातार पाबन्द किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 7 एवं 20 के वारिसानो की सूची पेश करने में असमर्थता व्यक्त की तथा पत्रावली में सीधे मेरिट पर बहस सुनने का निवेदन करने पर अंतिम बहस सुनी गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ता 29 के दादा पड़दादा आईदान की रोही मौजा फेफाना मे हाल जबाबन्दी में दर्ज चक 5 जे.एस.एन. के प. नं. 385/376 (2) के किला नं. 3 ता 8, 12 ता 15, 17 ता 19 व 21 ता 24 की 9.108 हैक्टेयर भूमि नोतोड़ की गई कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी।

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिसकी रकम भी आईदान ने एवं बाद में कानजी वल्द आईदान ने जमा करवाई थी। उक्त भूमि बाद में गलती से मंदिर करणी दर्ज हो गया जिसका दावा एस.डी.ओ. कोर्ट नोहर में प्रस्तुत हुआ जो दिनांक 30.04.1983 को खारिज कर दिया। एस.डी.ओ. नोहर के उक्त निर्णय के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ में अपील पेश की जो दिनांक 31.07.1996 को स्वीकार कर एस.डी.ओ. नोहर को रिमाण्ड कर दी गई। एस. डी. ओ. नोहर के यहा मिसल में कोई कार्यवाही नही हुई फिर भी तहसीलदार नोहर ने दिनांक 10.07.2007 को बिना किसी सुनवाई किंये तथा बिना पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट के पूर्वजो के नाम हटाकर इन्तकाल सं. 175 दिनांक 10.07.2007 से माफी मंदिर श्री करणी जी खातेदार दर्ज कर दिया। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर में अपील पेश की जिसे अदालत मातहत ने मियाद के बिन्दु पर खारिज कर दी जो गलत एव खिलाफ कानून है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 5 मियाद में स्पष्ट लिखा कि तहसीलदार नोहर के इन्तकाल सं. 175 अपीलान्ट की गैर हाजरी में उसे बिना सुने दर्ज किया गया है। उसे अपीलाधीन इंतकाल की जानकारी पटवारी हल्का से दिनांक 20.10.2014 को हुई जिसके समर्थन मे शपथ पत्र भी पेश किया गया, जिसके विरूद्व कोई Counter Affidavit पेश नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने मेरिट पर सुनवाई नही कर केवल मियाद के बिन्दु पर अपील को खारिज कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोहर का निर्णय दिनांक 09.03.2016 एवं तहसीलदार नोहर का इन्तकाल सं. 175 दिनांक 10.07.2007 खारिज फरमाया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 1998 पेज 319, RRD 1979 पेज 110, RRD 2004 पेज 661, RRT 2021 (2) S C पेज 1503, RRD 2018 पेज 272, RRD 1965 पेज 119, RBJ 2015 पेज 482, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नोहर के निर्णय दिनांक 09.03.2016 व तहसीलदार नोहर के द्वारा दर्ज नामान्तरणकरण संख्या 175 दिनांक 10.07.2007 से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2016 व नामान्तरणकरण संख्या 175 दिनांक 10.07.2007 को निरस्त करने की इस्तदुआ की गई है। हस्तगत् मामलें में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 7 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत होने, तथा विलम्ब से प्रस्तुत अपील की अवधि को कण्डोन करने का संतोषजनक, ठोस एवं विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप गुणावगुण के बिन्दु पर विचार करने की आवश्यकता नही मानते हुए मियांद के बिन्दु पर अपील को खारिज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत धारा –5 के प्रार्थना पत्र में केवल अपीलकृत आदेश 11.07.07 की जानकारी दिनांक 20.10.14 को पटवारी हल्का से होना अंकित किया है, यदि अपील मियाद बाहर है तो अपना पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मय शपथ पत्र, ठोस आधारो एवं औचित्यपूर्ण कारणो जिन पर स्वभावतः विश्वास किया जा सके, के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अपीलान्ट द्वारा 7 वर्ष बाद प्रस्तुत अपील में केवल धारा 5 के प्रार्थना पत्र में यह कहना युक्तियुक्त एवं सन्तोषप्रद कथन नही है कि उन्हे यह जानकारी पटवारी हल्का के जरिये हुई। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.03.2016 में किसी प्रकार की त्रुटि नही होने के कारण उसमे हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

6. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर